<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>31.07.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के संबंध में 14 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं, अर्थात् रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, अभय कुमार, नरेश कुमार, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरूज़ प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, स्वाति सिंगला, अभिषेक सिंगला, दिव्या अरोड़ा, मनोज कुमार शर्मा, मेसर्स मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स तथा अंकुर शर्मा के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। जांच के दौरान ईडी ने रिभव ऋषि, अभय कुमार, विक्रम वाधवा तथा नरेश कुमार उर्फ नरेश भुवानी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध के तौर-तरीकों, धन के प्रवाह (Fund Movement) के नेटवर्क, कुछ लोक सेवकों की संलिप्तता तथा बिचौलियों के माध्यम से उन्हें किए गए भुगतानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ उजागर की। इन सभी तथ्यों की आगे जांच की जा रही है।

जांच के दौरान ईडी ने विक्रम वाधवा, अन्य अभियुक्तों, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों, साझेदारी फर्मों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के नाम पर अर्जित अथवा धारित विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों का पता लगाया, जिन्हें अपराध के आगम के रूप में चिन्हित किया गया। तदनुसार, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के अंतर्गत कुल **200.84 करोड़ रुपये** मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय भवन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसंपत्तियाँ, कृषि भूमि, रियल एस्टेट परियोजनाओं में हित, साझेदारी अधिकार, बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि, सावधि जमा (एफडी) तथा अपराध के आगम के रूप में चिन्हित अन्य चल एवं अचल संपत्तियाँ सम्मिलित हैं। ये संपत्तियाँ, अन्य के अलावा, विक्रम वाधवा, रिभव ऋषि, रिभव ऋषि की पत्नी दिव्या अरोड़ा, विक्रम वाधवा से संबद्ध रियल एस्टेट संस्थाओं, नरेश कुमार, अक्षय चौहान, मोहित गोयल, मनोज कुमार शर्मा, स्वाति सिंगला तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित हैं, जिन्हें अपराध का आगम प्राप्त करने, धारण करने, उसका उपयोग करने अथवा अपने पास रखने वाला पाया गया। कुर्क की गई संपत्तियों का एक बड़ा भाग विक्रम वाधवा से संबंधित परिसंपत्तियों एवं रियल एस्टेट निवेशों का है। जांच में यह भी पाया गया कि विक्रम वाधवा ने अपराध के आगम का उपयोग अपने नाम पर संपत्तियाँ अर्जित करने तथा विभिन्न रियल एस्टेट संस्थाओं में निवेश करने के लिए किया। विक्रम वाधवा से संबंधित सभी संस्थाओं की अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य **151.33 करोड़ रुपये** है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हरियाणा; आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चंडीगढ़ पुलिस तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों (अर्थात् विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम पंचकूला, नगर परिषद कालका, क्रेस्ट, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड) और निजी स्कूलों (अर्थात् डीसी मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल एवं डीसी मॉडल पब्लिक स्कूल) के बैंक खातों से सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्वक हेरफेर से संबंधित दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच प्रारंभ की। जांच से पता चला कि लगभग **645 करोड़ रुपये** की सरकारी धनराशि का धोखाधड़ीपूर्वक हेरफेर किया गया, जिसे बाद में शेल संस्थाओं, वित्तीय लेनदेन तथा निवेश के जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन कर पीएमएलए के अंतर्गत अपराध का आगम बनाया गया

ईडी की जांच में पता चला कि धोखाधड़ी की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी और बैंक अधिकारियों, जौहरियों, रियल एस्टेट संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं, बिचौलियों और कुछ लोक सेवकों के बीच सक्रिय मिलीभगत के माध्यम से इसे अंजाम दिया गया था। धोखेबाजों के इस गठजोड़ ने धोखाधड़ी से जाली फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (एफडीआर), जाली आरटीजीएस/एनईएफटी अनुरोध पत्र, जाली डेबिट नोट, जाली बैंक संचार, जाली बैंक खाता विवरण और हेरफेर किए गए बैंकिंग रिकॉर्ड बनाए ताकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों से सरकारी धन के अनधिकृत और अवैध हस्तांतरण को शेल संस्थाओं यानी कैप्को फिनटेक सर्विसेज, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, आरएस ट्रेडर्स, एसआरआर प्लानिंग गुरूस प्राइवेट लिमिटेड, माँ वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स को सुगम बनाया जा सके।

जांच में यह भी पाया गया कि इन शेल संस्थाओं से धन ज्वैलर्स, विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं तथा विक्रम वाधवा के स्वयं के खातों में स्थानांतरित किया गया। इसके पश्चात इस धन को अनेक बैंक खातों के माध्यम से सुनियोजित ढंग

से प्रवाहित कर उच्च मूल्य की आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों, रियल एस्टेट परियोजनाओं, आभूषण व्यवसायों, खुदरा प्रतिष्ठानों तथा अन्य चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश किया गया।

जांच से यह स्थापित हुआ कि षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार रिभव ऋषि ने विभिन्न शेल संस्थाओं पर नियंत्रण रखा तथा सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्ण हेरफेर, अनेक बैंक खातों के माध्यम से उसकी परतबंदी (Layering) करने तथा तत्पश्चात उसे चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश कराने में केंद्रीय भूमिका निभाई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में कार्यरत अभय कुमार ने अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन को सुगम बनाने, जाली बैंकिंग दस्तावेजों की तैयारी एवं उनके प्रसंस्करण तथा षड्यंत्रकारियों के नियंत्रणाधीन शेल संस्थाओं के माध्यम से हेरफेर की गई धनराशि के प्रवाह (Routing) को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जांच में आगे यह भी पता चला कि चंडीगढ़ स्थित रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा अपराध के आगम के प्रमुख लाभार्थियों में से एक के रूप में उभरा। उसे प्राप्त पर्याप्त धनराशि का निवेश उच्च मूल्य की आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों, भूमि के विभिन्न भू-खंडों तथा रियल एस्टेट परियोजनाओं में किया गया। विकास एवं पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार उर्फ नरेश भुवानी को स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स जैसी शेल संस्थाओं से धन प्राप्त कर तथा विभिन्न वित्तीय लेनदेन एवं चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश के माध्यम से अपराध के आगम का उपयोग करते हुए धन शोधन की प्रक्रिया में जानबूझकर सहभागी पाया गया। वह इस धोखाधड़ी में संलिप्त कुछ लोक सेवकों के लिए बिचौलिए के रूप में भी कार्य कर रहा था।

जांच में यह भी स्थापित हुआ कि अभय कुमार की पत्नी स्वाति सिंगला, स्वाति सिंगला के पुत्र अभिषेक सिंगला, रिभव ऋषि की पत्नी दिव्या अरोड़ा, मनोज कुमार शर्मा तथा अंकुर शर्मा भी इस षड्यंत्र में संलिप्त थे। इन व्यक्तियों ने उपर्युक्त शेल संस्थाओं का नियंत्रण अथवा प्रबंधन किया, अपराध का आगम अर्जित किया तथा उसे छिपाने, उसकी परतबंदी करने और उसे आगे ज्वैलर्स, रियल एस्टेट संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं तथा प्रमुख आरोपियों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित करने में सहायता की, ताकि अपराध के आगम का उपयोग किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।